राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	2809/2015	हरपाल सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर। 2. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, अलवर।
2.	2810/2015	संजय कुमार	
3.	2811/2015	अशोक कुमार	
4.	2812/2015	प्रमोद कुमार	
5.	2876/2015	अशोक कुमार	
6.	2877/2015	हीरूलाल	
7.	2878/2015	कालूराम शर्मा	

आदेश की दिनांक : 03.09.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री विश्वास सैनी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलों में समान प्रार्थना की गयी है एवं समान विवाद बिन्दु निहित है। समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा निम्न प्रकार से प्रार्थना की गयी है :–

"1. The selection made in pursuance to the advertisement of year 2011-12 ignoring the appellant may kindly be declared illegal and invalid, therefore the same may also kindly be quashed and set aside.

2. The Selection for the post of Head Constable, whereby weight age of interview given be declared illegal and direct the respondents to prepare a fresh select list given weightage of written examination, Outdoor activities, ACR and seniority, if appellant found place, he may be given promotion alongwith all consequential benefits.

3. The selection process in pursuance of notice dated 8/7/15 may kindly be set aside and further direct the respondents to initiate entire selection process a fresh.

4. Any other appropriate order or direction just deem fit may kindly be passed in favour of the appellant."

2. अपीलार्थीगण ने यह आधार लिया है कि अपीलार्थीगण की पदोन्नति के लिये ठीक प्रकार से चयन प्रक्रिया नहीं की गयी और अपीलार्थीगण को ग्रुप–डिस्कशन में सही नम्बर नहीं देकर हैड कॉस्टेबल के पद पर पदोन्नति

से वंचित किया गया है, जबकि अपीलार्थीगण से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है।

3. प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थीगण लिखित परीक्षा व परेड आउटडोर परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम अंक अर्जित नहीं कर सके। इस कारण से अपीलार्थीगण का चयन नहीं हो सका।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम पाते हैं कि यदि अपीलार्थीगण पदोन्नति परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं तो प्रत्यर्थी विभाग के इस आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि अपीलार्थीगण ऐसा कोई तथ्य अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं, जिससे स्पष्ट हो कि पदोन्नति परीक्षा की प्रक्रिया गलत की गयी है। हम परीक्षा परिणाम में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलें खारिज की जाती है।

5. मूल आदेश अपील संख्या 2809/2015 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति उपरोक्त वर्णित तालिका में अंकित अन्य समस्त अपीलों में रखी जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)